| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/865/2003/सवाईमाधोपुर<br>विजयशंकर बनाम बद्रीलाल व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.09.2022 | **एकलपीठ**<br>**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**<br><br>**उपस्थित**<br>श्री वी0पी0सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण<br>श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण<br><br>**निर्णय**<br><br>प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।<br><br>आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।<br><br>उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गयी ।<br><br>योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपुर्ण तथ्य पर कोई गौर नही फरमाया कि प्रतिवादी संख्या 2 मदनलाल की मृत्यु दिनांक 02.02.2002 को हो चुकी है। जिसकी संपुर्ण जानकारी वादी संख्या 1 को प्रारंभ से ही थी क्योंकि मृतक अप्रार्थी संख्या एक का सगा चाचा था फिर भी वादी ने विधि द्वारा निर्धारित मियाद के अंदर मृतक के कायम मुकाम को | f |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/865/2003/सवाईमाधोपुर<br>विजयशंकर बनाम बद्रीलाल व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | रिकॉर्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की जिसमें 90 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद स्वतः ही अबैट हो गया फिर भी वादी ने दो वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र के साथ ना तो अबैटमेंट का कोई सेटअसाईड करने हेतु ही कोई प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही मियाद को कंडोन कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश किया यहां तक की वादी ने मृतक के मुत्यु की तारीख भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं की बल्कि प्रार्थीगण ने अपने जवाब में इन समस्त तथ्यों को संपुर्ण विवरण दिया है। फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के जवाब को बिना पढ़े एवं बिना प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुने सरसरी तौर पर बिना कोई कारण बताए वादी अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र पर आदेश फरमाने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर मूल वाद का अबेट किये जाने का निवेदन किया।<br><br>विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायलय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम परउ उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 15.4.02 को प्रार्थना पत्र कोस्ट पर स्वीकार किया गया था जिसमें उभयपक्ष की उपस्थिति स्पष्ट है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि धारा 114 सी0पी0सी0 के तहत यह प्रार्थना पत्र उसके क्षेत्राधिकार में ही आता है और न्यायालय ने आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि यदि न्यायालय से कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे सही किया जा सकता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें दावे को अबेट करने का निवेदन किया है वह पूर्णरूप से विधि विरूद्ध है जिसे खारिज करने में परीक्षण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/865/2003/सवाईमाधोपुर<br>विजयशंकर बनाम बद्रीलाल व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आदेश को विधिसम्मत व न्यायसगंत बताते हुये निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।<br><br>हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।<br><br>परीक्षण न्यायाल ने अपने आदेश के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि :–<br>''हमने उभयपक्ष की दलीलों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो न्यायालय आदेशिका में उभयपक्ष को सुनकर आदेश पारित किया जाना स्पष्ट है और फिर भी वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मदन लाल को वारिसान को गलत होने जैसी भी बात प्रकट नहीं की हैं चूंकी आदेश दिया जा चुका है और कायम मुकाम सही बनाए गए है अतः मेरी राय में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।''<br><br>इस प्रकार प्रकरण के उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.02 को आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। इस निर्णय के संबंध में दिनांक 03.02.2003 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 को खारिज किया गया है। आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी की मुख्य आपत्ति मियाद के सबंध में है। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने कोस्ट लगाकर मियाद को कन्डोन करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के स्वीकार किया है। बिना विधिक वारिसान को सुने प्रकरण में गुणावगुण पर निस्तारण नहीं हो सकता है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/865/2003/सवाईमाधोपुर<br>विजयशंकर बनाम बद्रीलाल व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी किसी प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर किया जाना आवश्यक व न्यायसगंत है।<br><br>परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2003 को यथावत रखा जाता है।<br><br>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(रामनिवास जाट)**<br>**सदस्य** | |